संख्या-18/2022/ए029-20222023-001-173-29-3-2022

प्रेषक,

अतुल सिंह
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आयुक्त,
खाद्य एवं रसद विभाग,
जवाहर भवन लखनऊ।

खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 25 अप्रैल, 2022

विषय :-प्रदेश के अन्त्योदय तथा पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह अप्रैल, 2022 में रिफाइन्ड ऑयल का नि:शुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या- 1228/आ0पू0रा0-नि:शुल्क वितरण/2021 दिनांक 19 अप्रैल, 2022 एवं पत्र संख्या-ले0शा0/105/44-नि:शुल्क वितरण/2022-23 दिनांक 19-4-2022 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप सं०-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30-12-2021 तथा पत्र संख्या 5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29.03.2022, शासनादेश संख्या-145/29-7-2022,दिनांक 29-3-2022 व शासनादेश संख्या-187/29-7-2022, दिनांक 13-4-2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को माह अप्रैल, 2022 हेतु रिफाइन्ड ऑयल का नि:शुल्क वितरण कराये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- इस संबंध में अवगत कराना है कि शासनादेश संख्या-16/2022/ए०29-20222023-001-110-29-3-2022, दिनांक 08 अप्रैल, 2022 द्वारा अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक 4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूंजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 के प्रथम चार माहों (अप्रैल से जुलाई, 2022 तक) के लिए खाद्यान्न मद में धनराशि रू० 58,30,00.00 लाख आपके निवर्तन पर रखा गया है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को नेफेड द्वारा माह अप्रैल, 2022 में आपूर्ति किए जाने वाले रिफाइन्ड ऑयल हेतु कुल धनराशि रू० 59,834.42 लाख के सापेक्ष नेफेड को भुगतान हेतु 30 प्रतिशत अग्रिम धनराशि रू० 17950.00 लाख (रूपये एक अरब उन्यासी करोड पचास लाख मात्र) के अग्रिम भुगतान किए जाने हेतु

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अतिरिक्त रूप से आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते है :-

1- उपरोक्तातनुसार आवंटित धनराशि का उपयोग केवल चालू योजनाओं पर ही किया जायेगा और किसी भी दशा में नयी मदों के क्रियान्ववयन के लिए न किया जाय।

2- उक्त धनराशि को व्यीय करने से पूर्व जिन मामलो/मदों में उ0प्र0 बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशो के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्रं सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो उसमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

3- शासकीय स्तर पर मितव्ययिता नितान्त आवश्यनक है। अत: व्यय करते समय मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों का विशेष रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय साथ ही राजकीय धन व्यय करने में उ0प्र0 बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गयी शर्तों की प्रतिपूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डेर्ड ऑफ फाइनेन्सियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु कोषागार से धनराशि के आहरण की माहवार फेजिंग अनिवार्य रूप से विभाग के कार्य की प्रकृति के अनुसार कर लिया जाय। जहां तक संभव हो व्यय की फेजिंग समान रूप से प्रतिमाह पूरे वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए समान रूप से की जाय। व्यय की फेजिंग वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/ वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 एवं खाद्य तथा रसद अनुभाग-3 को उपलब्ध करायी जाय। स्वींकृतियों/आवंटन के सापेक्ष उससे अधिक धनराशि का आहरण कोषागार से नही किया जायेगा। ताकि राज्य स्तेर पर कैश फ्लो निर्धारित किये जाने में किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो।

5- आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के सापेक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के संबंध में शासनादेश सं0-बी-1-1195/दस-16/94 दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का कड़ाई के साथ अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

6- विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी इस बात को सुनिश्चित करने के लिये उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय इसलिये विभागाध्यक्ष/नियंत्रक अधिकारी अपने स्तर पर वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की अनुश्रवण की नियमित व्यवस्था करेंगे तथा यदि किसी मामले में सीमाधिक व्यय दृष्टिगोचर हो अथवा किसी विनियोग की प्राथमिक इकाई के अधीन आनुपातिक आधार पर व्यय में किसी बड़े अन्तर की संभावना मालूम पड़े तो उसे तत्काल वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7 वित्तं(आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद एवं रसद अनुभाग-3 के संज्ञान में लाया जाय।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर वित्तीय नियमों/प्रक्रियाओं तथा अन्य सुसंगत नियमों के अन्तीर्गत ही किया जायेगा। किसी भी दशा में धनराशि को आहरित कर बैंक/डाकघर में जमा नही किया जायेगा।

8- जितनी भी वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जाय तथा जो बिल कोषाधिकारी को भुगतान हेतु प्रस्तुत किये जाये उसमे स्पष्ट रूप से लेखाशीर्षक के साथ संबंधित अनुदान संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, उसमे स्पष्ट रूप से पूर्ण लेखाशीर्षक (15 डिजिट कोड में) के साथ संबंधित अनुदान संख्या/मतदेय/भारित का उल्लेख आवश्यक किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

9- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही कार्य कराया जायेगा।

10- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

11- प्रश्नगत वित्तीय स्वीकृति जिस कार्य/मद हेतु की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्य/मद हेतु किया जायेगा।

12- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति नहीं हो रही है।

13- अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

14- बी0एम0-8 तथा बी0एम0-13 पर प्रतिमाह की 10 तारीख तक नियत रूप से वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 तथा खाद्य एवं रसद अनुभाग-3 को सूचना उपलब्ध करायी जाय।

15- इस शासनादेश के अन्तर्गत आवंटित होने वाली धनराशि का आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार में बिल प्रस्तुत करके आहरण किया जायेगा तथा वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30-12-2021 एवं संख्या-5/2022/बी-1-224/दस-2022-231/2022 दिनांक 29 मार्च, 2022 में दिये गये निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

16- उपरोक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदान संख्या-21 के लेखाशीर्षक "4408-खाद्य भण्डारण तथा भाण्डागार पर पूँजीगत परिव्यय-01-खाद्य-101-अधिप्राप्ति तथा पूर्ति-03-अन्नपूर्ति योजना-43-सामग्री एवं सम्पूर्ति" के नामे डाला जायेगा।

17- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-15/2021/बी-1-829/दस-2021-231/2022 दिनांक 30-12-2021 एवं 29 मार्च, 2022 द्वारा प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिहित अधिकारों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

4- यह आदेश वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-7 के अ0शा0 संख्या-ई-7-1/दस-2022-23, दिनांक 21-04-2022 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

अतुल सिंह
विशेष सचिव

संख्या व दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, जवाहर भवन, लखनऊ।
2- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।
3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम एवं द्वितीय उ०प्र० प्रयागराज।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- वरिष्ठ आडिट आफिसर (आडिट प्लानिंग) कार्यालय महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम, सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्नहिल रोड, प्रयागराज।

5- निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

6- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

7- आहरण एवं वितरण अधिकारी लेखा, खाद्य एवं रसद विभाग, उ०प्र० शासन।

8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, उ०प्र० शासन।

9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 (तीन प्रतियों में) उ०प्र० शासन।

10- गार्ड फाईल ।

आज्ञा से ,

अतुल सिंह
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।